भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 579*

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है।)

उच्च आर्थिक विकास दर

***579. प्रो. साधु सिंह**:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक प्रभावी अवसंरचनात्मक सुधार के बिना सतत उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने की गारंटी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिए सभी घरेलू क्षेत्रों तथा विश्व अर्थव्यवस्था से सहयोग की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन्)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रो. साधु सिंह द्वारा पूछे गए, 06 अप्रैल, 2018 को उत्तरार्थ लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 579* के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क), (ख) और (ग): सतत उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करना ढांचागत, बाहरी, राजकोषीय और मौद्रिक कारकों के साथ-साथ किए गए सुधारपरक उपाय जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है तथापि, इनमें से प्रत्येक कारक का एक-दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान भारत की वृद्धि बढ़ी है जबकि वैश्विक आर्थिक वृद्धि सामान्यत: कम थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर बाजार मूल्यों के आधार पर पिछले 4 वर्षों (2014-15 से 2017-18) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया, जो विश्व की उच्चतम दर में से एक है। 2017-18 की आर्थिक समीक्षा में उच्च वैश्विक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारपरक उपायों के योगदान सहित वर्ष 2018-19 में जीडीपी की वृद्धि दर 7-7.5 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है।

(घ): आर्थिक विकास के प्रोत्साहन को सरकार की उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है। सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के एक चरणबद्ध कार्यक्रम को शुरू किया है। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध पूंजी में वृद्धि हुई है, जिससे बैंक अधिकाधिक ऋण देने के लिए प्रेरित होंगे। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन कानून अधिनियमित किया गया है ताकि शोधन अक्षमता से संबंधित समाधान समयबद्ध रूप में किया जा सके। इस कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से व्यापार, व्यवसाय और संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों के मार्ग की बाधाओं को दूर करके विकास की गति में तेजी लाने का एक उपयुक्त अवसर उपलब्ध हुआ है। अन्य उपायों में तकनीकी की सहायता से जनधन-आधार मोबाइल (जैम) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पहलों के माध्यम से सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार शामिल है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत डीबीटी लाभार्थियों को 1.89 लाख करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हेतु अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र को मेक इन इंडिया आदि कार्यक्रमों से बढ़ावा देना, परिवहन, विद्युत क्षेत्र एवं अन्य शहरी तथा ग्रामीण अवसंरचना के लिए ठोस उपाय करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में व्यापक सुधार करना और वस्त्र उद्योग के लिए विशेष पैकेज, सस्ते मकानों को अवसंरचना की श्रेणी में रखकर अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना तथा तटीय संयोजकता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। राजमार्ग विकास के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई है। बजट 2018-19 में अर्थव्यवस्था को और अधिक गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य के साथ-साथ रेल एवं सड़क क्षेत्र को अधिक आवंटन के जरिए अवसंरचना को अधिक गति देना, 25 प्रतिशत के रूप में घटी हुई कारपोरेट कर की दर 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी लागू की गई जिससे 99 प्रतिशत तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्राप्त होने की आशा है, आदि।

****